न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 20/100 (100/2021) 225 आरटीएक्ट

बृजमोहन पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. बृजलाल पुत्र पतराम जाति जाट निवाासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नरसीराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.05.2017 उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 121/2012 बअनवानी बृजलाल बनाम बृजमोहन

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

निर्णय दिनांकः– 08.06.22

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनथ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया कि रोही मौजा मलिया तहसील नोहर के साबिका खसरा नं0 60 मीन की 6.08 बीघा भूमि पतराम पुत्र पदमाराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर की सम्वत 2012 से पूर्व की नो तोड़ की भूमि थी जो 60 वर्षों से से भी ज्यादा समय से पहले पतराम व पतराम के फौत होने के बाद अब उसके वारिसान के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसके कानूनन खातेदार हो चुके हैं। यह भूमि खसरा नं0 60 मीन की 6.08 बीघा भूमि पैमाईश हाल में खसरा नं0 119 की 6.08 बीघा में परिवर्तित हो चुकी है। राजस्व रिकार्ड में यह भूमि कुन्डासिंह पुत्र श्रवण सिंह के नाम से दर्ज थी। उसके फौत होने पर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:04 IST
Reason: SelfAttested

उसके वारिसान ने दिनांक 26.04.2011 को यह भूमि जरिये बैयनामा गैरसायल नं0 1 व 2 को बेय कर दी। परन्तु भूमि पर कब्जा पतराम व उसके वारिसान का ही। कब्जा काश्त के आधार पर कब्जा मुखलफाना होने के कारण खातेदार हो चुके हैं। राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं के कारण सायल एवं दावा में प्रतिवादी नं0 3 ता 10 के खातेदारी हकूक का हनन होता है। इसलिए भूमि के खातेदारी अधिकारेां की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। लेकिन गैरसायल नं0 1 व 2 बैयनामा के आधार पर विवादित भूमि में जबरदस्ती काबिज होने एवं वादीगण को बेदखल करना चाहते है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते है, तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पांच वर्षों से तलबी में चल रहा था जिस पर कोई गौर नहीं किया गया बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायलाय को अपीलाण्ट को बगैर सुने ही उसकी खातेदारी कृषि भूमि पर ताफैसला आदेश पारित कर दिया जो विधिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। रेस्पोडेण्ट नं0 प्रार्थना–पत्र में अपीलाण्ट की खरीदशुदा भूमि का बैयनामा निरस्त करवाने की इस्तदुआ चाही गई थी जो राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही है। प्रश्गनत भूमि अपीलाण्ट की खरीदशुदा भूमि है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नही था। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि पतराम की भूमि थी जिस पर पतराम एवं पतराम के बाद उसके वारिसान का कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा मुखालफाना 12 वर्ष से अधिक का होने के कारण रेस्पोडेण्ट खातेदार हो चुके हैं। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि से रेस्पोडेण्ट को बेदखल करना चाहता है। ऐसी [illegible] उसे अपीलाधीन निर्णय के द्वारा पाबन्द किया गया है जो [illegible] खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है, अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र कब्जा मुखालफाना के आधार स्वयं को प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार होना बताते हुए अपीलाण्ट को प्रश्नगत भूमि में दखलअंदाजी नही करने के लिए पाबंद करने के हेतु प्रस्तुत हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया एवं दोनों पक्षों को पाबंद किया और आदेश दिया कि वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली गैरसायल/अपीलाण्ट को नोटिस द्वारा तलब करने हेतु विचाराधीन थी। गैरसालय अपीलाण्ट की तलबी करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश के द्वारा उसे स्थगन आदेश से पाबंद कर दिया गया है। जबकि राजस्व रिकार्ड में यह भूमि कुन्डासिंह पुत्र श्रवण सिंह के नाम से दर्ज थी। उसके फौत होने पर उसके वारिसान ने दिनांक 26.04.2011 को यह भूमि जरिये बैयनामा अपीलाण्ट को बैय कर दी। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की खरीदशुदा भूमि है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट को सुने बिना पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2705.2017 निरस्त जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.6.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

8/6/22

(करतार सिंह पूनिया, आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:04 IST
Reason: SelfAttested